(59)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ।।।/निगरानी/मुरैना/भू0रा0/2017/3128

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र वासुदेव प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खडला तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान

..........................आवेदक

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दि. 6/9/17 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट 6/9/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

गंगादेवी पत्नी रतना भारद्वाज जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जींगनी तह0 व जिला मुरैना

.......................अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 31/08/2017 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय वृत 4 तहसील मुरैना के प्र0क0 07/16–17xअ/6 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम जींगनी तह0 व जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 661 रकवा 0.140 है0 में से हिस्सा 1/2 भाग के माधौप्रसाद पुत्र तेजसिंह स्वामी व आधिपत्यधारी थे।

2– यह कि माधौप्रसाद की मृत्यु के पश्चात आवेदक व अनावेदक द्वारा पृथक पृथक वसियतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पंत्र प्रस्तुत किये। जो पटवारी मौजा द्वारा विवादित होने पर निराकरण हेतु तहसील में प्रस्तुत किये जिस पर से तहसीलदार महोदय मुरैना वृत 4 द्वारा प्र0क0 07/16–17 x अ/6 पर पंजीबद्व किया जाकर विचाराधीन है।

3– यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0भू0रा0 संहिता का इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य दीवानी दावा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मुरैना में प्र0क0 96/17ए0इ0दी0 पर दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें स्वत्व का निराकरण होना है। दीवानी न्यायालय में चल रहे प्रकरण के निराकरण तक नामान्तरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावे।

4– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/07/2017 द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र को अबैध व मनमाने आधार पर निरस्त कर दिया।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन / निगरानी / मुरैना / भूरा / 2017 / 3128

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
6–9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा तहसीलदार वृत्त–4 तहसील मुरैना के प्रकरण कमांक 07 / अ–6 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31.8.17 विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि उनको अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। उनका यह भी तर्क है कि एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का इस आाशय का प्रस्तुत कियाकि विवादित भूमि के संबंध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य दीवानी दावा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मुरैना में भी विचाराधीन है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी मुख्य तर्क है कि दिनांक 21.7.17 को दिया गया आवेदन पत्र को अवैध व मन माने आधार पर निरस्त कर दिया गयाा है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दिनांक 31.8.17 को आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक को अपना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर नहीं मिल रहा	

है। अतः तहसीलदार वृत्त–4 तहसील मुरैना के प्रकरण कमांक 07 / अ–6 / 2016–17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 31.8.17 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार वृत्त–4 तहसील मुरैना को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये, आदेश पारित करें।

सदस्य